राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1140/2025

बाबुलाल मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपायुक्त एवं शासन उप सचिव–iii, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 11.01.2025
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति आंधी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति किशनगढ़, अजमेर, में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी को कार्यमुक्त भी नही किया गया है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी कार्मिक को भी नहीं लगाया गया है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार के अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव प्रथम के द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार किया गया है। जबकि राज्य सरकार को स्थानान्तरण/पदस्थापन करने का ना तो कोई अधिकार है ना ही कोई शक्ति प्राप्त है। एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण जिला परिषद् की स्थाई स्थापना समिति के अनुमोदन एवं प्रधान की सहमति के उपरान्त ही स्थानान्तरण किया जा सकता है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस प्रकार की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाने के कारण उक्त आदेश पारित किया गया है, जो विधि–विरूद्ध

है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज क्रियाकलाप नियम–2011 के नियम 8(3) के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूसरे जिले में बिना पंचायती राज विभाग की सहमति लेकर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति आंधी, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति किशनगढ़, अजमेर, प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)